(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 431-III/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–11–2008 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग के प्रकरण क्रमांक 07/निगरानी/2008–09.

1–द्वारका प्रसाद आत्मज मॉगीलाल करोडिया
2–प्रकाश चन्द्र आत्मज मॉगीलाल करोडिया
निवासीगण पचोर तहसील सारंगपुर
जिला–राजगढ ब्यावरा (म.प्र.)

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

.....

श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक आवेदक
एकपक्षीय अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/12/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय के प्रकरण कमांक 07/निगरीन/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 10–11–2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वर्तमान शिकायत पूर्व में की गई शिकायतों के आधार पर की गई जॉच में विवादित भूमि पर आवेदक का ही स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित पाया गया है इसके बाद भी अभिलेख के विपरीत शिकायत के आधार पर आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा भूल की गई है । तर्क में यह भी बताया कि आवेदकगण के पिता श्री मॉगीलाल विवादित भूमि के आधिपत्यधारी भूमि स्वामी है तथा उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य को प्रकरण कमांक 20/अ–60/1978–79 में पारित आदेश दिनांक 31–8–79 एवं अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़ के आदेश दिनांक 13–7–07 द्वारा आवेदकगण का विवादित भूमि पर स्वामित्व एवं आधिपत्य स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में तद्नुसार नाम व कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये । इन आदेशों के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं करने के कारण यह आदेश आज भी यथावत् है । इस स्थिति को नजरअंदाज कर कलेक्टर जिला राजगढ द्वारा दिनांक 16–1–08 को आदेश पारित करने में तथा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय द्वारा दिनांक 10–11–08 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त करने में विधि की वैधानिक भूल की है । अतः में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ कलेक्टर एवं आयुक्त न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

3– अनावेदक की ओर से उक्त भूमि के शासकीय होने संबंधी राजस्व प्रकरणों – राजस्व मण्डल प्रकरण कमांक 2913–एक/2012 आदेश दिनांक 12–6–2013, अपर कलेक्टर निगरानी प्रकरण कमांक 53/अ–6–अ/2011–12 आदेश दिनांक 11–2–2014 तथा माननीय उच्च न्यायालय प्रकरण कमांक 307/1985 निर्णय दिनांक 7–5–1991 पेश किये गये ।

4– मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण कमांक 2913–एक/2012 में पारित आदेश दिनांक 12–6–2013 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 269/1/1 भूमि पर आवेदकगण द्वारकाप्रसाद एवं प्रकाशचन्द का भूमिस्वामी स्वत्व अंतिम रूप से अमान्य करते हुये भूमि को शासकीय मान्य किया है । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 11–2–2014 (प्रकरण कमांक 53/अ–6–अ/11–12/निगरानी) द्वारा भूमि मध्यप्रदेश शासन दर्ज करने के आदेश भी दिये जा चुके हैं । ऐसी स्थिति में जबकि आवेदकगणों को उक्त भूमि को बेचने का

अधिकार ही नहीं है तब कलेक्टर द्वारा उपपंजीयक को विक्रय पत्र पर रोक लगाने के निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5— उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.